2/2016/
संख्या—1692जेड/6—सा—1—2015—22जी/98

प्रेषक,

डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त, जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांकः 23 फरवरी, 2016

विषय—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवाओं या अन्य पात्र आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशनों को विनियमित करने से सम्बन्धित नियमावली के नियम—5(क) के अर्न्तगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृत्यु के दूसरे दिन से उनकी विधवा/विधुर अथवा उक्त नियम में उल्लिखित अन्य पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जाते हैं तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) जारी करने के पश्चात् स्वीकृत पेंशन का भुगतान सेनानी के पात्र सदस्य को किया जाता है।

2— नियमावली के नियम—5(क) में पारिवारिक पेंशन हेतु पुत्र की आयु सीमा 18 वर्ष तथा अविवाहित पुत्री की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना 1980 में अविवाहित पुत्रियों को आजीवन पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्राविधान है, जिसके अनुसार पुत्री के अविवाहित रहने तक जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त होगी। विवाह के उपरान्त अथवा आत्मनिर्भर होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। भारत सरकार की योजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशन को विनियमित करने सम्बन्धी नियमावली दिनांक 06.08.1975 (संशोधित 1983) के नियम—5(क) में सेनानी की पुत्री के पेंशन के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
5 (क) किसी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर जो इस नियमावली के अधीन स्वतंत्रता संग्राम पेंशन पा रहा हो, उक्त पेंशन स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन के रूप में, सेनानी के मृत्यु प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर, कोषाधिकारी द्वारा उसके पात्र सदस्य को दी जायगी किन्तु शर्त यह है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसका हकदार न होगा। उक्त पात्रता का उत्तरोत्तर क्रम इस प्रकार	*5 (क) किसी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर जो इस नियमावली के अधीन स्वतंत्रता संग्राम पेंशन पा रहा हो, उक्त पेंशन स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन के रूप में, सेनानी के मृत्यु प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर, कोषाधिकारी द्वारा उसके पात्र सदस्य को दी जायेगी किन्तु शर्त यह है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसका हकदार न होगा। उक्त पात्रता का उत्तरोत्तर क्रम इस प्रकार होगा, अर्थात सर्वप्रथम विधवा जो मृत्यु या पुनर्विवाह तक पा सकेगी। तत्पश्चात् ज्येष्ठतम् जीवित अवयस्क पुत्र, यदि कोई हो, और यह क्रम जीवित अवयस्क पुत्रों तक चलता*

होगा, अर्थात् सर्वप्रथम विधवा जो मृत्यु या पुनर्विवाह तक पा सकेगी। तत्पश्चात् ज्येष्ठतम् जीवित अवयस्क पुत्र, यदि कोई हो, और यह क्रम जीवित अवयस्क पुत्रों तक चलता रहेगा जो इसे 18 वर्ष की आयु तक पा सकेंगे। इसके पश्चात्, ज्येष्ठतम अवयस्क पुत्र एवं अविवाहित पुत्री इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पा सकेगी और यदि कोई दूसरी अविवाहित पुत्री हो तो इसके पश्चात् वह भी इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पा सकेगी। यह क्रम अविवाहित पुत्रियों तक इसी प्रकार चलता रहेगा।

रहेगा, जो इसे 18 वर्ष की आयु तक पा सकेंगे। इसके पश्चात् ज्येष्ठतम् अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री को 21 वर्ष की आयु अथवा विवाह की तिथि, जो पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी और यदि कोई और अवयस्क अविवाहित पुत्री हो तो इसके पश्चात वह भी 21 वर्ष की आयु अथवा विवाह की तिथि, जो पहले हो तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकेगी। यह क्रम अवयस्क एवं अविवाहित पुत्रियों तक इसी प्रकार चलता रहेगा। इसके उपरान्त, ऐसी ज्येष्ठतम पुत्री जिसका विवाह न हुआ हो, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी जो उसे उसके अविवाहित रहने तक अथवा आत्मनिर्भर होने तक प्राप्त होती रहेगी चाहे उसकी आयु कुछ भी हो। ऐसी पुत्री की पात्रता समाप्त हो जाने पर उससे ठीक कनिष्ठ अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र हो जायेगी तथा वह अविवाहित रहने तक अथवा आत्मनिर्भर होने तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करती रहेगी। यह क्रम सभी अविवाहित पुत्रियों तक इसी प्रकार चलता रहेगा।

3— उपर्युक्त संशोधन स्वतत्रंता संग्राम सेनानी की आश्रित पुत्री की पेंशन व्यवस्था से सम्बन्धित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों की पेंशन व्यवस्था के सम्बन्ध में किये गये अन्य संशोधन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशनों को विनियमित करने के सम्बन्ध में नियमावली दिनांक 06.08.1975 के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4— उक्त संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय

डि॰ वर्मा

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1692(1)जेड/6—सा—1—2015—22जी/98 9/2016/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— निदेशक/सचिव, स्वतत्रंता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3
7— राजनैतिक पेंशन अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन।
8— गार्ड बुक।

आज्ञा से

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।